तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर** **सेशन प्रकरण सख्या 07/2022** **सी.आई.एस. 187/2022** **सरकार बनाम मुकन सिंह व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.09.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान मुकन सिंह, राजू सिंह, कन्नू सिंह व महेन्द्र सिंह मय अधिवक्ता उपस्थित। मुलजिमा ग्यारसी देवी अनुपस्थित, जिसकी हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई, जो आज पेशी हेतु स्वीकार की गयी। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में डा. लक्ष्मी रावत मेडिकल ज्यूरिष्ट है, जिसकी साक्ष्य चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट को साबित करने हेतु प्रकरण में आवश्यक है। लेकिन पूर्व में सहवन से अभियोजन द्वारा उक्त गवाह का नाम तर्क कर दिया गया है। उक्त गवाह प्रकरण में आवश्यक साक्षी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त गवाह को तलब किये जाने का निवेदन किया गया। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण में दिनांक 23.09.24 को स्वयं अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को तर्क किया गया है। जिसका आदेशिका में हवाला है। अतः अब यह किसी प्रकार नहीं माना जा सकता कि सहवन से गवाह को तर्क कर दिया गया। किसी प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधान का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 23.09.24 को अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह संख्या 10 डा. लक्ष्मी रावत को तर्क करने बाबत आदेशिका में वर्णन है। जिसके सम्बंध में अब उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बंध में जहां तक विधिक प्रावधानों का प्रश्न है। धारा 311 द.प्र.सं. में प्रावधान है कि– Any Court **may**, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any	

person already examined; and the Court **shall** summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case.

इस बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त उनवानी **2022 SCC Online SC 986 Varsha Garg Vs State of Madhya Pradesh & Other** में पैरा नम्बर 32 व 33 में धारा 311 दं.प्र.सं. के दो हिस्से बताये है, जो माननीय न्यायालय के शब्दों में इस प्रकार है–

32. This power can be exercised at any stage of any inquiry. trial or other proceeding under the CrPC. The latter part of Section 311 states that the Court "shall" summon and examine or recall and re-examine any such person "if his evidence appears to the Court to be essential to the just decision of the case". Section 311 contains a power upon the Court in broad terms. The statutory provision must be read purposively, to achieve the intent of the statute to aid in the discovery of truth.

33. The first part of the statutory provision which uses the expression "may" postulates that the power can be exercised at any stage of an inquiry, trial or other proceeding. The latter part of the provision mandates the recall of a witness by the Court as it uses the expression "shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case". Essentiality of the evidence of the person who is to be examined coupled with the need for the just decision of the case constitute the touchstone which must guide the decision of the Court. The first part of the statutory provision is discretionary while the latter part is obligatory.

उक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विधिक प्रावधान किसी आवश्यक साक्षीं को समन करने अथवा उपस्थित साक्षीयों की परीक्षा करने हेतु न्यायालय को विस्तृत शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि उक्त विधिक प्रावधान के 2 भाग जिसमें प्रथम भाग न्यायालय के विवेकाधीन है, वहीं द्वितीय भाग में यह आवश्यक बताया गया है कि यदि मामले के न्यायपूर्ण विनिश्चिय हेतु किसी व्यक्ति की साक्ष्य आवश्यक हो तो उसे साक्ष्य हेतु समन किया जावेगा व परीक्षा की जावेगी।

जहां तक उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का प्रश्न है, जिस गवाह को तलब करने बाबत अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया है वह

	प्रकरण में डॉक्टर होकर उसके द्वारा चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट के बाबत साक्ष्य लेखबद्ध करवायी जानी है। प्रकरण धारा 147, 341, 323, 325, 308 भा.द.सं. के बाबत विचारण का है, जिसमें चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य है, जिसके साक्षी की परीक्षा करवाया जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय आवश्यक पाता है। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में न्यायोचित प्रतीत होने से लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. स्वीकार कर गवाह संख्या 10 डा. लक्ष्मी रावत को प्रकरण में साक्ष्य हेतु तलब करने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में गवाह संख्या 10 डा. लक्ष्मी रावत व 17 कुम्भाराम अंतिम गवाह दर्शित है। अतः आदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों गवाह को जरिये जमानती वारण्ट 5000/– रूपये से तलब किया जावे। साथ ही जरिये वी.सी. साक्ष्य की सुविधा बाबत भी नोट अंकित हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 15.09. 2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3 अजमेर**	